भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *277

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन तथा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों को नियमित किया जाना

***277. श्री हरीभाई पटेल:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) और राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों/अधिकारियों, जो 14-15 वर्षों से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं, के रोजगार को नियमित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2018 में वेतन यौक्तिकीकरण के उपरांत वेतन वृद्धि में विलंब के कारणों सहित इन कर्मचारियों को पिछली बार प्रदान की गई वार्षिक वेतन वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का 10 वर्षों से अधिक समयावधि तक सेवा कर चुके एनयूएचएम और एनटीईपी कर्मचारियों को लॉयल्टी बोनस और अनुभव बोनस प्रदान करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उनके लिए वार्षिक छुट्टी को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने तथा एचआईवी और क्षय रोग जैसी संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त रोगियों के साथ इन कर्मचारियों के कार्य के स्वरूप के दृष्टिगत जोखिम भत्ता शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) और (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *277 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) और राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) कार्यान्वित किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधनों से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी समग्र संसाधन क्षमता के भीतर उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ऐसे कार्मिकों के लिए समय पर वार्षिक वेतन वृद्धि, लॉयल्टी बोनस, वार्षिक अवकाश की संख्या में वृद्धि और जोखिम भत्ते की शुरूआत करने का प्रावधान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

*****